बनाया गया है ।

अन्तिम नियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई, 2004

क्र0 1389 वि.नि.आ. / 2003/विद्युत अधिनियम 2003 (क्र0 36 वर्ष 2003) की धारा 15 सहपठित धारा 181 (2) (बी, सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया, विनियम 2004 बनाया गया है ।

अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया
विनियम – 2004

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

1.1 यह विनियम मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञापत्र के आवेदन हेतु प्रक्रिया) विनियम 2004 कहे जावेंगे ।

1.2 यह विनियम मध्य प्रदेश शासन के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

1.3 यह विानियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य तथा वितरण अनुज्ञाधारियों द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु सहवर्ती कार्यक्षेत्र में विस्तारित होंगे ।

परिभाषाऐं :

1.4 जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों के शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (क्र. 4 वर्ष 2001) विद्युत अधिनियम 2003 (क्र 36 वर्ष 2003) तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम में परिभाषित है ।

अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन :

1.5 कोई व्यक्ति जो मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत के पारेषण , वितरण या विद्युत व्यापार में संलग्न होने हेतु इच्छुक हो, आयोग को समुचित अनुज्ञापत्र हेतु ऐसे प्रारूप में जो इन विनियमों के अनुच्छेद (अ) से (घ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं तथा विद्युत अधिनियम की धारा 180 (2) (अ) द्वारा इस हेतु निर्धारित शुल्क भुगतान के प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेजों सहित, आवेदन देगा ।

1.6 आयोग, यदि उचित समझे तो, समाचार पत्रों में विज्ञापन या अन्यथा ऐसे समुचित प्रकार से जैसा आयोग उचित समझे , राज्य के किसी क्षेत्र में अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए सूचना पत्र जारी कर सकेगा ।

1.7 अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन केन्द्रीय अधिनियम, मध्य प्रदेश अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किए जावेंगे ।

1.8 अनुज्ञापत्र हेतु प्रत्येक आवेदन तथा उसके समर्थन में दस्तावेज आवेदक या उसकी ओर से हस्ताक्षरित किए जावेगे तथा सचिव, या आयोग द्वारा इस हेतु पदांकित अधिकारी को भेजे जावेगें तथा उसके साथ

(अ) प्रारूप की 6 या ऐसी संख्या में प्रतियां जो आयोग द्वारा नियत की जावें, प्रस्तुत की जावेंगी जिनके अनुज्ञापत्र में सम्मिलित किए जाने वाले निबन्धन तथा शर्तो का उल्लेख, आवेदक या उसके अभिकर्ता (यदि हो) का नाम तथा पता प्रारूप के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रित , होना चाहिए ।

(ब) प्रस्तावित पारेषण या प्रदाय क्षेत्र के मानचित्र जो कि आयोग द्वारा अनुमोदित या विनिर्दिष्ट स्केल पर हो की आवेदक द्वारा प्रत्येक हस्ताक्षरित छः या ऐसी संख्या में प्रतियाँ जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जावे ।

(स) एक प्रपत्र जिसमें ऐसी परिसम्पत्ति या भूमि का विवरण हो जो अनुज्ञापत्र के उद्‌देश्य से अधिग्रहण हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तावित की गई हो तथा इस प्रकार के अधिग्रहण के साधन

(द) व्यवसाय परियोजना की एक प्रति, अनुज्ञापत्र हेतु प्रस्तावित पूंजी का विवरण, इस प्रकार के पूंजीगत व्यय की वित्त व्यवस्था परिणामतः कार्यक्षमता का विकास, तथा ऐसे अन्य विवरण जो आयोग चाहे ।

(क) समागम अन्तरनियम तथा समागम ज्ञापन की एक प्रति यदि कम्पनी हो, या अन्य विधिक इकाई होने पर समामेलन या पंजीकरण दस्तावेज की प्रति ।

(ख) वार्षिक लेखे या अन्य समान दस्तावेज जो अपेक्षित हो ।

(ग) शुल्क प्राप्ति की अभिस्वीकृति ।

(घ) इस विनियम से संलग्न प्रारूप I से VIII निम्न प्रकार से प्रयोजनीय है ।

(I) प्रारूप I एवं III सामान्यतः सभी आवेदकों पर प्रयोजनीय है ।

(II) प्रारूप II, IV एवं V प्रस्तावित वितरण अनुज्ञाधारियों पर प्रयोजनीय है ।

(III) प्रारूप VI एवं VII प्रस्तावित पारेषण अनुज्ञाधारियों पर प्रयोजनीय है ।

(IV) प्रारूप VIII प्रस्तावित व्यापारिक अनुज्ञा पर प्रयोजनीय है ।

प्रारूप की अन्तरवस्तु :

1.9 विनियम 1.8 (अ) में वर्णित प्रारूपों में निम्नलिखित अन्तरविष्ट होंगे :–

(अ) प्रस्तावित अनुज्ञप्तिधारी का संक्षिप्त नाम, आवेदक का नाम एवं पता तथा यदि आवेदक कम्पनी है तो उसके समस्त संचालकों के नाम ;

(ब) आवेदित अनुज्ञापत्र का प्रकार ;

(स) प्रस्तावित कार्य क्षेत्र की स्थिति ;

(द) प्रस्तावित संचालन क्षेत्र का विवरण ;

(क) सामान्य शर्ते तथा विशिष्ट शर्ते यदि कोई हो, जो कि इस प्रकार के अनुज्ञापत्रों में सम्मिलित करने हेतु आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई हो, किसी चाहे गये विषयान्तरण के औचित्य के साथ ; एवं

(ख) ऐसे विवरण जो आयोग निर्दिष्ट करे ।

अनुज्ञापत्र की शर्ते :

1.10 आयोग समय–समय पर ऐसी सामान्य एवं विशिष्ट शर्ते निर्धारित कर सकेगा जिनके अन्तर्गत अनुज्ञापत्र जारी किया जावेगा ।

आवेदन की अभिस्वीकृति :

1.11 आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता अधिकारी उस पर प्राप्ति का दिनांक अंकित करेगा तथा प्राप्ति के दिनांक सहित आवेदक को अभिस्वीकृति भेजेगा ।

लोक निरीक्षण हेतु नक्शों तथा प्रारूपों की प्रतियां :

1.12 आवेदक स्वयं के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थान पर जो आयोग द्वारा निर्धारित किए जावें, अनुच्छेद 1.8 में संदर्भित दस्तावेजों की प्रतियॉ लोक निरीक्षण हेतु संधारित करेगा तथा ऐसे व्यक्तियों को जो उनके लिए आवेदन दें ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां उनके चक्र मुद्रण की उचित लागत से अनाधिक पर, उपलब्ध कराएगा ।

अतिरिक्त जानकारी की मांग :

1.13 आयोग या सचित या अन्य कोई अधिकारी जिसे इस हेतु आयोग द्वारा पदांकित किया गया हो, आवेदन पत्र के परीक्षण के उपरान्त आवेदक से एक नियत अवधि में ऐसी अतिरिक्त जानकारी या विवरण या दस्तावेज मांग सकेगा जो आवेदन के परीक्षण हेतु आवश्यक समझे जावें ।

समुचित आवेदन प्रस्तुत किये जाने की विज्ञप्ति :

1.14 यदि आयोग यह पाता है कि आवेदन पत्र परिपूर्ण है तथा आवश्यक जानकारी विवरण एवं दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत है एवं आवेदक ने जानकारी, विवरण एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने की सभी आवश्यकताऐं पूर्ण करली हैं, आयोग या सचिव या अन्य अधिकारी जो इस हेतु पदांकित किया गया हो यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन पत्र केन्द्रीय अधिनियम, मध्य प्रदेश अधिनियम तथा इन विनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति के विचार हेतु तैयार है तथा इस संबंध में आवेदक को सूचित करेगा ।

आवेदन तथा उसकी अन्तरवस्तु की विज्ञप्ति :

1.15 आवेदक, आवेदन प्रस्तुत करने के 7 दिवस की अवधि में अपने आवेदन पत्र के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन लोक विज्ञापन के माध्यम से करेगा तथा इस विज्ञापन में ऐसे विवरण अन्तरविष्ठ होंगे जो आयोग द्वारा नियत किए जावें ।

1.16 यह प्रकाशन यह दर्शाएगा कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, अनुज्ञाधारी या व्यक्ति जो आवेदन के संदर्भ में आयोग को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वह नियत समयावधि में एक पत्र द्वारा जो ऐसे अधिकारी को संबोधित हो जिसे कि आयोग द्वारा इस संबंध में पदांकित किया जावे, ऐसा कर सकेगा ।

1.17 आयोग यह निर्देशित कर सकेगा कि आवेदन की सूचना का निर्वाह, केन्द्र शासन ,राज्य शासन अन्य कोई प्राधिकार व्यक्ति या संस्थान जैसा कि आयोग नियत करे को ऐसी रीति से किया जावे जैसा कि आयोग उचित समझे ।

आपत्तियां :

1.18 कोई व्यक्ति जो आवेदन पत्र स्वीकार करने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे वह ऐसी सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा ।

1.19 इससे पूर्व कि आवेदन आयोग के समक्ष अनुज्ञापत्र की स्वीकृति की सुनवाई हेतु प्रस्तुत हो, आवेदक केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रशासन से वांछित '' अनापत्ति प्रमाणपत्र'' प्राप्त करने हेतु आवेदन देगा तथा प्राप्त करेगा ।

1.20 कोई व्यक्ति जो अनुज्ञापत्र की शर्तो में कोई संशोधन चाहता हो, आवेदक को तथा ऐसे अधिकारी को जिसे इस हेतु आयोग द्वारा पदांकित किया गया हो, आयोग द्वारा नियत समयावधि में, संशोधन का विवरण पत्रक सौंपेगा ।

पारेषण अनुज्ञापत्र :

1.21 पारेषण अनुज्ञापत्र हेतु आवेदक, आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन की एक प्रति केन्द्रीय पारेषण इकाई एवं/या मध्य प्रदेश राज्य हेतु राज्य पारेषण इकाई को प्रेषित करेगा । ऐसी इकाईयां अपनी अनुशंसा सहित, यदि कोई हो, आयोग को केन्द्रीय अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रस्तुत करेंगी ।

व्यापार अनुज्ञापत्र :

1.22 व्यापार अनुज्ञापत्र हेतु आवेदक तकनीकी आवश्यकताओं पूंजी की पर्याप्तता, आवश्यक शाखा सामर्थ्य , जैसा कि विद्युत व्यापारी होने के लिए आयोग द्वारा नियत किया जावे, का ध्यान रखेगा ।

स्थानीय जांच तथा सुनवाई :

1.23 यदि आवेदक ने आवेदन के सूचना पत्र के प्रकाशन की समुचित व्यवस्था कर ली हो तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने की समय सीमा व्यतीत हो गई हो एवं आवेदक द्वारा आयोग को केन्द्र शासन का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर दिया हो अथवा आयोग द्वारा बाद में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई हो, आयोग आवेदन की अग्रिम सुनवाई प्रारंभ करेगा ।

1.24 आयोग आवेदक, आपत्तिकर्ता, केन्द्र शासन, राज्य शासन तथा अन्य कोई प्राधिकारी या व्यक्ति या संस्था को, जैसा कि आयोग उचित समझे, जांच/सुनवाई का सूचना पत्र जारी करेगा ।

1.25 आयोग सूचना पत्र का प्रकाशन ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में भी करेगा, जैसा कि आयोग आवश्यक समझे जिसमें उस व्यक्ति के नाम एवं पते का उल्लेख होगा जिसे वह अनुज्ञापत्र जारी करना प्रस्तावित करता है ।

1.26 यदि कोई व्यक्ति आवेदित अनुज्ञापत्र को स्वीकृत किए जाने विषयक कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है तो आयोग इस प्रकार से स्थानीय जांच कर सकेगा जैसा कि आयोग निर्देशित करे ।

1.27 ऐसी स्थानीय जांच की स्थिति में आवेदक तथा ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा जिसे इस उद्देश्य हेतु पदांकित किया गया हो, ऐसी स्थानीय जांच के परिणामों पर एक ज्ञापन तैयार तथा हस्ताक्षरित किया जावेगा, जैसा कि आयोग निर्दिशित करे ।

अनुज्ञापत्र का अनुमोदन :

1.28 जांच एवं सुनवाई के उपरान्त आयोग, जहां व्यवहारिक हो आवेदन प्रस्तुत करने के 90 दिवस की अवधि में अनुज्ञापत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करने का विनिश्चयन कर सकेगा तथा यदि आयोग अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने का विनिश्चयन करता है तो ऐसे निबन्धनों एवं शर्तो पर तथा सामान्य या विशिष्ट शर्ते के ऐसे संशोधन सहित जैसा कि आयोग निर्देशित करे, अनुज्ञापत्र स्वीकृत कर सकेगा ।

1.29 जब आयोग में अनुज्ञापत्र की स्वीकृति अनुमोदित कर दी हो, सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी जो इस हेतु आयोग द्वारा पदांकित किया गया हो, आवेदक को ऐसे अनुमोदन तथा प्रारूप जिसमें अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जाना प्रस्तावित हो तथा ऐसी शर्ते जिनकी संतुष्टि आवेदक द्वारा की जाना हो, की लिखित सूचना देगा ।

अनुज्ञापत्र की स्वीकृति की अधिसूचना :

1.30 आवेदक से यह लिखित सूचना प्राप्त होने पर कि वह, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तथा ऐसी शर्तो पर जिनपर अनुज्ञापत्र प्रस्तावित किया गया हो, अनुज्ञापत्र स्वीकार करने का इच्छुक है तथा आवेदक द्वारा ऐसी अन्य शर्तो की संतुष्टि करने पर जो अनुज्ञापत्र की स्वीकृति हेतु निर्दिष्ट की गई हो, आयोग अनुज्ञापत्र जारी कर सकेगा तथा आवेदक को अनुज्ञापत्र या उसके किसी अंश या सार को, जैसा आयोग उचित समझे , प्रकाशित करने हेतु अधिकृत करेगा ।

1.31 आयोग, अनुज्ञापत्र जारी करने के तत्काल बाद, अनुज्ञापत्र की एक प्रति राज्य शासन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकार तथा ऐसे अन्य व्यक्ति को प्रेषित करेगा जैसा कि आयोग आवश्यक समझे ।

अनुज्ञापत्र के प्रारंभ होने का दिनांक :

1.32 अनुज्ञापत्र ऐसे दिनांक से प्रारंभ होगा जो आयोग द्वारा अनुज्ञापत्र प्रारंभ होने के दिनांक के रूप में विनिर्दिष्ट की जावे ।

1.33 अनुज्ञापत्रधारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :

अनुज्ञापत्रधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक कुशल सुसंगठित एवं मितव्ययी पारेषण, उपपारेषण, वितरण या प्रदाय हेतु विद्युत प्रणाली, पारेषण के क्षेत्र में या प्रदाय या विद्युत के भारी प्रदाय के क्षेत्र में, जैसी स्थिति हो, जिसके लिए अनुज्ञापत्र दिया गया है को विकसित एवं संधारित करे । साथ ही समस्त विनियम अनुज्ञापत्र की शर्ते तथा संहिता जो आयोग द्वारा जारी या विनिर्दिष्ट की जावे , का परिपालन करे ।

मानचित्रों को जमा कराया जाना :

1.34 जब एक अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जा चुका हो, मानचित्रों के तीन सेट, जो ऐसे अनुज्ञापत्र के संबंध में अनुच्छेद 1.8 में विनिर्दिष्ट विवरण दर्शाते हों, ऐसे अधिकारी द्वारा जो आयोग द्वारा उस संबंध में पदांकित किया गया हो द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किए जावेंगे जो अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के दिनांक से सहसंबंधित होगें ।

1.35 ऐसे अधिकारी द्वारा मानचित्र का एक सेट जमा के रूप में रख लिया जावेगा तथा दो सेट आयोग के उचित सत्यापन के उपरान्त अनुज्ञाधारी को प्रदत्त किए जावेंगे ।

1.36 अनुज्ञाधारी, जब भी आयोग द्वारा बांछित हो, मानचित्रों को इलेक्ट्रानिक प्रणाली के रूप में तैयार प्रारूप में प्रस्तुत करेगा ।

मुद्रित प्रतियों को जमा कराया जाना :

1.37 प्रत्येक व्यक्ति जिसे अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया हो, ऐसी स्वीकृति के 30 दिवस की अवधि में तथा जो अनुज्ञापत्र एवं आयोग द्वारा अनुमोदित मानचित्रों से सुसंगत हो,

(अ) अनुज्ञापत्र की पर्याप्त संख्या में प्रतियां चक्र मुद्रित कराएगा ;

(ब) निर्धारित संख्या में मानचित्र तैयार करवाएगा जो अनुज्ञापत्र में निर्दिष्ट प्रदाय क्षेत्र को दर्शाऐंगे ।

(स) ऐसे अनुज्ञापत्र तथा मानचित्रों को उचित समय पर लोक निरीक्षण हेतु अपने मुख्यालय एवं प्रदाय क्षेत्र में अपने स्थानीय कार्यालय (यदि हो) तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जावें प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा ।

1.38 ऐसा प्रत्येक अनुज्ञापत्र–धारी उपर्युक्त 30 दिवस की अवधि में अनुज्ञापत्र की प्रतियां, ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो आवेदन करें चक्रमुद्रण की उचित लागत से अनाधिक मूल्य पर विक्रय हेतु आवश्यक प्रबंध करेगा ।

टीपः– इस मध्यप्रदेश अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव

प्रारूप–1

प्रस्तावित अनुज्ञप्तिधारी/समझे गए अनुज्ञप्तिधारी का संक्षिप्त नाम और विवरण

1. कम्पनी का नाम ––––––––––––––––––––––––
2. रजिस्टर्ड पता ––––––––––––––––––––––––
3. निगमन की तारीख ––––––––––––––––––––––––
4. पंजीयन की तिथि ––––––––––––––––––––––––
5. कारबार प्रारंभ करने की तिथि ––––––––––––––––––––––––
6. अंश पूंजी –––––––––––––––– लाख रूपयों में
7. अभिदाताओं की संख्या –––––––––––––––––––––––––
8. सी.एम.डी. का नाम –––––––––––––––––––––––––

समस्त संचालकों के नाम

1.

2.

3.

4.

सचिव का नाम

प्रस्तावित कृत्य	कृपया निशान लगाए	अनुज्ञप्ति के लिए किया गया आवेदन	कृपया निशान लगाए
वितरण	☐	वितरण अनुज्ञप्ति	☐
पारेषण	☐	वाणिज्य अनुज्ञप्ति	☐
व्यापार	☐	पारेषण अनुज्ञप्ति	☐
कोई अन्य (कृपया वर्णन करें)			

प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना (प्रारूप में सलंग्न करें)

प्रारूप–2

वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझा गया अनुज्ञप्तिधारी सम्मिलित है) द्वारा विद्युत और भुगतान प्राप्त करने का तरीका।

(कृपया निशान लगावें) जिससे इंटरफेस हो

वाउन्डरी पॉइट्स की स्थिति (जैसे सबस्टेशन का नाम)		उत्पादन कं.	पारेषण कं.	वितरण कं.	वोल्टेज स्तर	मीटर का वर्णन–प्रकार/शुद्धता का वर्ग, सी.टी./पी.टी. का वर्णन
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

क्र.	कहाँ से विद्युत उपापन की गई (एजेंसी का नाम)	प्रस्तावित वाणिज्यिक व्यवस्था (कृपया निशान लगायें)	
		विद्युत क्रय अनुबंध	थोक प्रदाय अनुबंध
1			
2			
3			
4			
5			
6			

वाणिज्यिक व्यवस्था प्ररूप संलग्न करें :–

क्र.	भुगतान का ढंग	कृपया निशान लगाएं
1	साख पत्र	
2	इसक्रो लेखा	
3	मासिक मांग ड्राफ़्ट/चेक	
4	कोई अन्य	

प्रारूप–3

प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण

क्र.	पैरामीटर(परिमापक)	इकाई	डाटा	स्त्रोत
	क्षेत्र	वर्ग कि.मी.		
	कुल खेतीहर क्षेत्र	वर्ग कि.मी.		
	कुल सिंचाई क्षेत्र	वर्ग कि.मी.		
	वन क्षेत्र	वर्ग कि.मी.		
	जनसंख्या	नहीं		
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या	नहीं		
	गरीबी रेखा के नीचे की कुल जनसंख्या	नहीं		
	गरीबी रेखा के नीचे की अ.ज./अ.ज.जा जनसंख्या	नहीं		
	परिवारों की कुल संख्या			
	ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या	नहीं		
	नगरीय परिवारों की संख्या			
	विद्युतीकृत परिवारों की संख्या			
	विद्युतीकृत ग्रामीण परिवारों की संख्या			
	विद्युतीकृत परिवारों का प्रतिशत			
	जिलों की संख्या			
	संभागों की संख्या			
	तहसीलों की संख्या			
	गांवों की संख्या			
	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या			

प्रारूप–4

वितरक अनुज्ञप्तिधारक के बारे में जानकारी (इसमें सम्मिलित है माना गया अनुज्ञप्तिधारी)

श्रेणी		उपभोक्ता की संख्या	अनुबंधित/संबंध भार	बिल की गई ऊर्जा	चालू मीटर	खराब मीटर	बिना मीटर उपभोक्ता	दिनांक................ को बकाया
एल.टी.	संख्या	संख्या	के.डब्ल्यू.	एम.यू.	संख्या	संख्या	संख्या	रूपये लाख
घरेलू	संख्या							
एकल बिन्दु कनेक्शन	संख्या							
गैर घरेलू	संख्या							
जल कार्य	संख्या							
औद्योगिक	संख्या							
कृषिक	संख्या							
स्ट्रीट लाईट	संख्या							
कुल एल.टी.								
एच.टी.								
रेल्वे ट्रेक्शन	संख्या							
कोयला खदान	संख्या							
मिनी स्टील प्लांट्स	संख्या							
सीमेंट फैक्टरीज	संख्या							
एच.टी.जल कार्य	संख्या							
अन्य एच.टी. उपभोक्ता	संख्या							
ग्रामीण विद्युती–करण से सहकारी समिति	संख्या							
सीमावर्ती ग्राम	संख्या							
कुल एच.टी.								
महायोग								

प्रारूप–7

वाणिज्यिक/तकनीकी सूचना–पारेषण अनुज्ञप्ति (जिसमें समझे गए अनुज्ञप्तिधारी सम्मिलित हैं)

पैरामीटर	इकाई	डाटा
सर्किल की कुल संख्या	नहीं	
संभाग की कुल संख्या	नहीं	
ग्रिड सब–स्टेशन की कुल संख्या	नहीं	
रेटिंग के साथ ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या		
40 एम.वी.ए.	नहीं	
20 एम.वी.ए.	नहीं	
–	नहीं	
–	नहीं	
–	नहीं	
–	नहीं	
–		
कुल ट्रांसफोर्मेशन क्षमता	एम.वी.ए.	
फीडर्स की कुल संख्या		
400 के.वी.	नहीं	
220 के.वी.	नहीं	
132 के.वी.	नहीं	
66 के.वी.	नहीं	
फीडर्स की लम्बाई		
400 के.वी.	सी.के.एम.	
220 के.वी.	सी.के.एम.	
132 के.वी.	सी.के.एम.	
66 के.वी.	सी.के.एम.	
तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या	नम्बर	
गैर तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या	नम्बर	
कर्मचारियों की कुल संख्या	नम्बर	

प्रारूप–8

राज्य के भीतर ''विद्युत व्यापार'' अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रारूप

आवेदक का विवरण

1.	आवेदक का नाम	:	------------------------------
2.	पता	:	------------------------------
3.	सम्पर्क व्यक्ति का नाम	:	------------------------------
	पदाभिधान और पता	:	------------------------------
4.	सम्पर्क टेलीफोन नंबर	:	------------------------------
5.	फेक्स नं.	:	------------------------------
6.	ई–मेल आई.डी.	:	------------------------------
7.	निगमन/रजिस्ट्रेशन का स्थान	:	------------------------------
8.	निगमन/रजिस्ट्रेशन का वर्ष	:	------------------------------

9. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाना हैः–

(क) रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र

(ख) कारबार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र

(ग) संस्था का ज्ञापन और

(घ) आवेदक या उसके प्रमोटर को प्रेषित करने के लिए मुख्तारनामा

(ड.) आयकर रजिस्ट्रेशन का विवरण

आवेदक के वित्तीय आंकड़ो का वर्णन

10. अव्यवहित पिछले 5 वित्तीय वर्षो के लिये शुद्ध मूल्य (भारतीय रूपयों के समतुल्य प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रचलित विनियम की दर से परिवर्तन किया जाएगा।

(दिनांक/माह/वर्ष) से (दिनांक/माह/वर्ष)

	घरेलू मुद्रा में	उपयोग में लाई गई विनियम दर	भारतीय रूपयों के समतुल्य

(क)	वर्ष 1 ( ) से ( )	———————	——————————	—————————
(ख)	वर्ष 2 ( ) से ( )	———————	——————————	—————————
(ग)	वर्ष 3 ( ) से ( )	———————	——————————	—————————
(घ)	वर्ष 4 ( ) से ( )	———————	——————————	—————————
(ड़)	वर्ष 5 ( ) से ( )	———————	——————————	—————————

(च) वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां या प्रमाणित संपरीक्षीत परिणाम को उपरोक्त के समर्थन में संलग्न किया जाएगा।

11. अव्यवहित पिछले 5 वित्तीय वर्षो के लिये कुल टर्न ओवर (भारतीय रूपयों के समतुल्य प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रचलित विनियम की दर से परिवर्तन किया जाएगा।

(दिनांक/माह/वर्ष) से (दिनांक/माह/वर्ष)

		घरेलू मुद्रा में	उपयोग में लाई गई विनियम दर	भारतीय रूपयों के समतुल्य
(क)	वर्ष 1 ( ) से ( )	———————	——————————	—————————
(ख)	वर्ष 2 ( ) से ( )	———————	——————————	—————————
(ग)	वर्ष 3 ( ) से ( )	———————	——————————	—————————
(घ)	वर्ष 4 ( ) से ( )	———————	——————————	—————————
(ड़)	वर्ष 5 ( ) से ( )	———————	——————————	—————————

(च) वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां या प्रमाणित संपरीक्षीत परिणाम को उपरोक्त के समर्थन में संलग्न किया जाएगा।

12. अनुक्रमांक 10 और 11 के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की सूची

दस्तावेज का नाम

(क) ————————————————————————

(ख) ————————————————————————

(ग) ————————————————————————

(घ) ————————————————————————

13. (क) क्या आवेदक स्वयं प्रस्तावित वाणिज्यिक का वित्त पोषण करेगा हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ तो आवेदक से प्रस्तावित इक्विटी

(एक) रकम

(दो) प्रतिशत

14. यदि आवेदक इक्विटी के लिए किसी अन्य एजेन्सी के साथ जुड़ना चाहता है तो ऐसी एजेन्सी का नाम और पता :–

(क) नाम, पदाभिधन और अन्य एजेन्सी के संदर्भ व्यक्ति का पता

(ख) सम्पर्क टेलीफोन नं.

(ग) फेक्स नं.

(घ) ई–मेल, आई. डी.

(ड.) अन्य एजेन्सी से प्रस्तावित साम्या

(एक) रकम

(दो) कुल साम्या का प्रतिशत

(तीन) वह मुद्रा जिसमें साम्या प्रस्तावित है

(च) अन्य एजेन्सी का सहमति पत्र जिससे आवेदक, साम्या के लिए सहबद्ध होगा

(छ) आवेदक और अन्य एजेन्सी के बीच प्रस्तावित सहयोग की प्रकृति

15. वाणिज्यिक गतिविधि के लिए प्रस्तावित ऋण का विवरण

(क) उधार देने वाले का विवरण

(ख) वह रकम जिसे भिन्न–भिन्न उधारकर्ताओं से लिया जाएगा

(ग) उपरोक्त के समर्थन में उधारकर्ताओं से पत्र संलग्न किया जाए

16. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता

(प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना और भिन्न–भिन्न कार्यपालिक, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविधा आदि के प्ररूप में ''वाणिज्यिक अनुज्ञप्ति की ''शर्तो और निर्बन्धनों'' के संबंध में आवेदक को उसकी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता के सबूत संलग्न करना होगा)

17. तरीका और पद्धति

(आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक व्यवस्था की स्थापना के लिए तरीके और पद्धति वर्णित करना होगी।

तारीख   आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप–6

इनपुट तथा सप्लाई पाईन्ट्स–पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (इसमें सम्मिलित है मांग अनुज्ञप्तिधारी)

<u>इनपुट पाईन्ट्स</u>

अनु.	सीमा पाईन्टों	इन्टरफेस सहित कम्पनी का नाम	मीटर के वितरण–टाईप/

	की स्थिति	उत्पादक कं.	वितरण कं.	अन्य राज्य	अन्य	वोल्टेज स्तर	सही मात्रा की श्रेणी, सीटी/ पीटी का वितरण
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

<u>सप्लाई पाईन्ट्स</u>

अनु.	सीमा पाईन्टों की स्थिति	**इन्टरफेस सहित कम्पनी का नाम**					मीटर के वितरण–टाईप/ सही मात्रा की श्रेणी, सीटी/ पीटी का वितरण
		उत्पादक कं.	वितरण कं.	अन्य राज्य	अन्य	वोल्टेज स्तर	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

प्रारूप–5

वितरक अनुज्ञप्तिधारक के बारे में जानकारी (इसमें माना गया अनुज्ञप्तिधारक सम्मिलित है)

अनु.	पैरामीटर (परिमापक)	यूनिट	दिनांक
	क्षेत्रों की संख्या	संख्या	
	वृतों की संख्या	संख्या	

	संभागों की संख्या	संख्या	
	उप संभागों की संख्या	संख्या	
	वितरण केन्द्रों की संख्या	संख्या	
	फ्यूज ऑफ काल केन्द्रों की संख्या	संख्या	
	33 के.व्ही. लाईन की लम्बाई	सी.के.एम.	
	11 के.व्ही. लाईन की लम्बाइ	सी.के.एम.	
	एल.टी. लाईन की लम्बाई	सी.के.एम.	
	ईएचटी उपकेन्द्रों से 33 के.व्ही. ओरीजिनेटिंग फीडर्स की कुल संख्या	संख्या	
	33 के.व्ही./11 के.व्ही. एस/ एसे से 11 के.व्ही. ओरीजिनेटिंग फीडर्स की कुल संख्या	संख्या	
	11/0.4 केव्हीएस/ एस से एलटी ओरीजिनेटिंग फीडर्स की कुल संख्या	संख्या	
	33 केव्ही फीडर्स मीटरीकृत की कुल संख्या	संख्या	
	11 केव्ही फीडर्स मीटरीकृत की कुल संख्या	संख्या	
	एल.टी. फीडर्स मीटरीकृत की कुल संख्या	संख्या	
	क्षमता के साथ ट्रांसफार्मर की कुल संख्या		
	क्षमता	संख्या	के.व्ही.अनुपात
	750 के.व्ही.ए.		
	500 के.व्ही.ए.		
	315 के.व्ही.ए.		
	300 के.व्ही.ए.		
	250 के.व्ही.ए.		
	200 के.व्ही.ए.		
अनु.	150 के.व्ही.ए. पैरामीटर (परिमापक)	यूनिट	दिनांक
	100 के.व्ही.ए.		
	75 के.व्ही.ए.		
	63 के.व्ही.ए.		
	50 के.व्ही.ए.		
	25 के.व्ही.ए.		

		संख्या	
	पावर ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या		
	वितरण ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या		
	प्राथमिक या द्वितीय साईड पर मीटरीकृत पावर ट्रांसफार्मस् की कुल संख्या		
	प्राथमिक या माध्यमिक दोनों और से कोई एक मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्म से की कुल संख्या		
	ट्रांसफार्मेशन की कुल क्षमता		
	पावर ट्रांसफार्मर	एम.वी.ए	
	वितरण ट्रांसफोर्मर	एम.वी.ए	
	इनर्जी इनपुट	एम.यू.	
	इनर्जी जिसका बिल बनाया गया	एम.यू.	
	खोई हुई ऊर्जा	प्रतिशत	
	राशि जिसका बिल बनाया गया	लाख रूपये	
	जमा की गई राशि	लाख रूपये	
	जमा किया गया प्रतिशत	प्रतिशत	
	कुल बकाया (ऐरियर)	लाख रूपये	
	बकाया 90 दिन से कम		
	बकाया 180 दिन से अधिक		
	दस लाख के ऊपर बकाया के साथ एच.टी. उपभोक्ताओं की संख्या	नहीं	
	पचास हजार के ऊपर बकाया के साथ एल.टी. उपभोक्ताओं की संख्या	नहीं	
	तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या	नहीं	
	बकाया 180 दिन से अधिक		
	दस लाख के ऊपर बकाया के साथ एच.टी. उपभोक्ताओं की संख्या	नहीं	
	गैर तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या	नहीं	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	नहीं	